

श्रेणी : II
SERIES : II

Daman 15th December, 2017 24 Agrahayana, 1939 (Saka)

सं. : 47
No.

सरकारी राजपत्र OFFICIAL GAZETTE



सत्यमेव जयते
भारत सरकार
Government of India

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

U.T. ADMINISTRATION OF DAMAN & DIU

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यालय
जिला पंचायत, डोलर
मोटी दमण - 396 220

एफ.टी.एस सं.: 56137

सं. जि.पं./दमण/एस.ए.वाय./2017-18/601

दिनांक : 23/11/2017

पढें : अधिसूचना सं.टी.एस.पी./404/2012-2013/414 दिनांक 14/08/2012
अधिसूचना सं.टी.एस.पी./404/2014-2015/118 दिनांक 20/05/2014
अधिसूचना सं.एस.डब्ल्यू.एस./सी.एस.एस./यू.टी.यो./2017-2018/228
दिनांक 28/09/2017

अधिसूचना

प्रशासक, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली अपनी निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा सूर्योदय आवास योजना में निम्नलिखित के अनुसार संशोधन करते हैं :

1. योजना का संक्षिप्त नाम - इस योजना को सूर्योदय आवास योजना-2017 के नाम से जाना जाएगा।
2. पात्रता :-
 - (i) दमण एवं दीव के वे सभी निवासी जिनका नाम सर्वे एस.ई.सी.सी.-2017 में पंजीकृत/प्रविष्ट है और जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, वो इस योजना के तहत लाभ लेने के पात्र होंगे।

(ii) दमण एवं दीव के वैसे निवासी जिनका नाम सर्वे एस.ई.सी.सी.-2017 में पंजीकृत/प्रविष्ट नहीं है, परंतु पी.एम.ए.वाय.-जी. मार्गदर्शिका के अनुसार दमण एवं दीव जिला प्राधिकरण समिति द्वारा पात्र पाये जाते हैं और जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, वो इस योजना के तहत लाभ लेने के पात्र होंगे।

(iii) सक्षम प्राधिकारी प्रशासक की मंजूरी पर, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अन्य लाभार्थियों को भी इस योजना का लाभ प्रदान कर सकते हैं।

3. अभिकल्प एवं निर्माण:-

स्वच्छ खाना पकाने के लिए विहित क्षेत्र सहित न्यूनतम इकाई (आवास) का आकार 25 वर्गमीटर।

4. लागत:-

अनुमानित न्यूनतम लागत रू 2.90 लाख (प्रति आवास)।

5. सहायता का स्वरूप:-

लाभार्थियों को निम्नलिखित के अनुसार सहायिकी आधार पर रू 2.90 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी:

क) लाभार्थियों के लिए रू 0.50 लाख का योगदान।

ख) संघ प्रदेश शेयर (सब्सिडी) रू 2.40 लाख।

6. निधि स्थानांतरण की व्यवस्था:-

(i) सहायता (सब्सिडी) निर्माण के चरणों के साथ 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी जो निम्नलिखित रूप में होगी:-

(ii) निर्माण के चरण एवं किस्तों की अदायगी:-

1. लाभार्थियों को प्रथम किस्त नींव की खुदाई के उपरांत कुल इकाई लागत का 1/3 भाग (यानि रू 80,000/-) के रूप में देय होगा।
2. लिंटेल् स्तर तक निर्माण के बाद दूसरी किस्त देय होगी। यह कुल इकाई लागत का 1/3 भाग (यानि रू 80,000/-) होगा।
3. तृतीय किस्त छत के साथ आवास के पूर्ण निर्माण के उपरांत कुल इकाई लागत का 1/3 भाग (यानि रू 80,000/-) के रूप में देय होगा।
4. लाभार्थियों को समस्त भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से बैंक खाते के जरिये किया जाएगा।

7. समूह आवास:-

(i) इस योजना के तहत सक्षम प्राधिकारी आवास निर्माण को समूह आवास परियोजना के तहत विचार कर सकते हैं।

(ii) यदि समक्ष प्राधिकारी द्वारा समूह आवास परियोजना पर विचार किया जा रहा हो, तो भूभाग लाभार्थियों को नहीं दिया जाएगा।

(iii) प्रत्येक लाभार्थी क्रियान्वयन ऐजेंसी को आवास आबंटन के पूर्व राशि रू 50000/- जमा करेंगे।

(iv) यदि समूह आवास परियोजना के तहत लागत खण्ड-4 की सीमा से अधिक हो, तो उसका भार संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन के द्वारा वहन किया जाएगा।

8. क्रियान्वयन एजेंसी :-

जिला पंचायत दमण एवं दीव इस योजना को निम्नलिखित के अनुसार क्रमशः दमण एवं दीव जिलों में लागू करेंगे:-

1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित समूह आवास परियोजना दमण दीव आवास योजना के तहत शक्ति प्रदत्त हैं।
2. क्रियान्वयन एजेंसी समूह आवास निर्माण हेतु किसी परामर्शदाता और एजेंसी को सूचीबद्ध कर सकती है।

9. सक्षम प्राधिकारी :-

इस योजना के उद्देश्य हेतु सचिव (पं.रा.सं.), दमण सक्षम प्राधिकारी होंगे।

यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

प्रशासक, दमण एवं दीव और दादरा एवं
नगर हवेली के आदेश एवं नामानुसार

ह/-

(राकेश कुमार)

उप-सचिव (पं.रा.सं.)

दमण एवं दीव

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यालय
जिला पंचायत, ढोलर
मोटी दमण

सं. जि.पं./दमण/जी.ए.वाय./2017-18/600 दिनांक : 24/11/2017

- पढें : 1) उप-सचिव (समाज कल्याण), दमण द्वारा जारी अधिसूचना सं.टी.एस.
पी./404/2012-13/414, दिनांक 14/8/2012.
- 2) उप-सचिव (समाज कल्याण), दमण द्वारा जारी अधिसूचना सं.टी.एस.
पी./404/2014-15/118, दिनांक 20/05/2014.
- 3) उप-सचिव (समाज कल्याण), दमण द्वारा जारी अधिसूचना सं.एस.
डब्लू./सी.एस.एस./यू.टी.स्कीम/2017-18/228, दिनांक 28/09/2017.

अधिसूचना

संघ प्रदेश दमण एवं दीव के प्रशासक एतद्द्वारा सूर्योदय आवास योजना से संबंधित अधिसूचना सं.एस.डब्लू./सी.एस.एस./यू.टी.स्कीम/2017-18/228, दिनांक 28/09/2017 को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हैं।

प्रशासक, दमण एवं दीव के
आदेश और नामानुसार

ह/-

उप-सचिव (पं.रा.सं.)

**No. ADE/DP/SR/2017-18/1208
U.T. Administration of Daman & Diu,
Office of the Assistant Director of Education,
District Panchayat,
Moti Daman – 396 220.**

Dated : 6/12/2017.

O R D E R

On the basis of the Birth records of Patel Sujitkumar Ramubhai, Primary School Teacher, Government Primary School, Naila Pardi, Moti Daman, it is hereby ordered that the name of Patel Sujitkumar Ramubhai, in his Government records be read as "**SUJEET RAMA**" being his actual name as per his Birth Certificate instead of Patel Sujitkumar Ramubhai being presently officiating.

This is issue with the approval of the Hon'ble Administrator Daman & Diu and DNH vide diary No. 277920 dated 20/11/2017.

Sd/-
Director of Education
Daman & Diu,
Daman

**Administration of U.T. of Daman & Diu
Value Added Tax Department
Udyog Bhavan, 3rd Floor, Bhenslore,
Nani Daman – 396 210.**

No. DMN/VAT/UTGST/2017-18/340

Date : 11/12/2017.

NOTIFICATION

In exercise of the power conferred by under section 3 of UTGST Act, 2017 read with Rule 103 of CGST Rule, 2017 all other powers enabling him in this behalf, the Administrator of Daman, Diu and Dadra & Nagar Haveli is pleased to appoint Smt. Charmie Parekh, DANICS, Deputy Commissioner (UTGST), Daman & Diu as a member of the Authority for Advance Ruling to carry out the functions for the purpose of the said Act with immediate effect.

By order and in the name of the
Administrator of Daman & Diu

Sd/-
(Kishore J. Bamanía)
Joint Secretary (Taxation)
Daman and Diu

SERIES II No. : 47
DATED : 15 TH DECEMBER, 2017.

**Administration of U. T. of Daman & Diu,
Government Industrial Training Institute,
M. G. Road, Ringanwada,
P. O. Varkund, Nani Daman.**

201/ITIDMN/2017

No. ITI/DMN/PER/2-67/16-17/377

Dated : 12/12/2017

Read : Application dated 11/10/2017 of Dharmesh G. Patel, Watchman,
Industrial Training Institute, Daman.

ORDER

On the basis of the birth records of Dharmesh G. Patel, Watchman, it is hereby ordered that the name of Dharmesh G. Patel in his Government records be read as "**DHARMESHKUMAR GULAB**" being his actual name as per birth certificate instead of Dharmesh G. Patel being presently officiating.

This issues with the approval of the Advisor to Administrator/Appointing Authority, Daman & Diu vide diary No. 282572 dated 30/11/2017.

Sd/-
(Harshit Jain)
Deputy Secretary (Education)

No. COL/DMN/APPT/E-M/84/2017-18/11574
U. T. Administration of Daman & Diu,
Office of the Collector,
Moti Daman : 396 220

Dated : 15/12/2017

ORDER

In exercise of the power conferred under section 20(1) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and all other powers enabling in this behalf, the Administrator of U.T. of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli is hereby pleased to appoint the following officers as Executive Magistrate for the jurisdiction of Daman District with immediate effect till 31/03/2018.

(i)	Shri P. S. Jani, Chief Executive Officer, District Panchayat, Daman.
(ii)	Shri Vaibhav Rikhari, Chief Officer, Daman Municipal Council, Daman.
(iii)	Shri Krishan Kumar, Deputy Collector (Gen), Collectorate, Daman.
(iv)	Ms. Gurpreet Singh, Deputy Secretary (Per), Secretariat, Daman.
(v)	Shri Harshit Jain, Director of Education, Daman & Diu, Daman.

The above officers shall work under the overall control of the Collector, and District Magistrate, Daman.

By Order and in the name of the
Administrator of Daman & Diu
and Dadra & Nagar Haveli

Sd/-
(Gurpreet Singh)
Deputy Secretary (Home)
